भाग , अनुच्छेद , संवि. संशोधन
सदनों की संयुक्त बैठक , अध्यादेश , विधेयक , CAG , निधि
संसद की समितियां , संसदीय समितियाँ , संसदीय शब्दावली

VYAPAM
Manthan
www.vyapammanthan.com

अनुसूची, संवि. सभा (गठित) & प्रस्तावना

1. संविधान ? , अधिनियम [1773 - 1935 (Imp) - 1947] , विदेशी स्रोत
i.e विदेशी संवि. के भाग हमारे संवि. में लिए गए हैं

2. भाग + अनु , अनु (Imp) , संवि संशोधन , सदस्य सं. , प्रस्तावना , संघ प्रदेशों का प्रशासन
DPA , CDDL
(आराध्य) (प्रशासन)

3. I मंत्रिमंडल , रा. , Pm , समिति ,

(4) भाग → [1 से 6]

Delhi , Puducherry , Andman , Chandigadh , Daman , Dadar , Lakshdep
Delhi → New Delhi
Puducherry → Pondicherry
Chandigadh → "
Daman → "
Dadar → Silvasa
Lakshdep → Kavaratti

	Summer	Winter
Himachal →	Shimla	Dharmsala
Jammu →	Srinagar	Jammu

Different Sources of India Constitution

(उधारी)

Britain (ब्रिटेन) → Law making Procedure, rule of Law, Provision for Single citizenship. Parliamentary System of Govt., office of CAG, सर्वा. मत के आधार पर जीत का फैसला.

USA (अमेरिका) → Independence of Judiciary, judicial Review, fundamental rights, removal of S.C & H.C judges, Preamble and f^n of Vice president, महाभियोग, संवि. की सर्वोच्चता, हम भारत के लोग, वित्तीय आपात

Canada → संघात्मक शासन व्यवस्था (सशक्त केन्द्र), अवशिष्टात्मक सरकार, राज्यपाल पद.

Ireland (नीति) – नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन, nomination of member to R.S by President. आपातकाल.

Germany → आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ. (आपातकालीन उपबंध)

Australia → केन्द्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, समवर्ती, Preamble lang.

South Africa → Amm. with 2/3 maj. in parliament, & election of the memb. of R.S on the Basis of Prof Representation
संवि. में संशोधन की प्रक्रिया.

Japan → विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया.

Russia → fundamental duties.

France → गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, "स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व"

" वाक् स्वतंत्र्य → America,
But, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य (freedom of Speech) - भारतीय संवि. की अपनी मौलिक व विशिष्ट व्यवस्था है।

अनुसूचियाँ → रायल्टी, राजभाषा, सभा

(1) संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1-4
(2) नागरिकता 5-11
(3) → मौलिक अधिकार 12-35
(4) नीति निर्देशक तत्व 36-51
4(क) मूल कर्तव्य 51(क).

(5) संघीय कार्यपालिका 52-151
(6) राज्य कार्यपालिका 152-237

[(7) पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238

(8) केंद्रशासित प्रदेश 239-242

[(9) पंचायत 243 (~~क~~)
9(क) स्थानीय शहर निकाय 243 (क-ण)

[(10) SC/ST 244

(11) संघ-राज्य के बीच संबंध 245-263
(12) वित्त व प्रशासनिक संबंध 264-300

(15) निर्वाचन 324-329
(17) राजभाषा 343-351
(18) आपात उपबंध 352-360
राष्ट्रीय आपात 352-355
राष्ट्रपति शासन 355-357
[वित्तीय आपात 360

[(20) संवि. संशोधन 368
(21) अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 369-392
(22) संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ 393-395

VYAPAM
Manthan
www.vyapammanthan.com

राष्ट्रपति 52 , उपराष्ट्रपति 63

प्रधानमंत्री 74

महान्यायवादी 76

संसद 79 , राज्यसभा 80 , लोकसभा 81

धन विधे. → 110

वित्त विधेयक बजट 112

सर्वोच्च न्यायालय 124 , उच्च न्यायालय 214

CAG 148

~~CAG 148~~

राज्यपाल 153 , मुख्यमंत्री 163 , राज्य का महाधिवक्ता 165

विधान मंडल 168 , विधान सभा 170

संचित निधि 266

वित्त आयोग 280

लोक सेवा आयोग 315

निर्वाचन आयोग 324

संवि. संशोधन 368

VYAPAM
Manthan
www.vyapammanthan.com

S.C → 124

↳ अभि. न्यायालय → 128

अपीलीय क्षेत्राधिकार → 132

पुनः विचार सम्बन्धी → 137

परामर्शदात्री क्षेत्राधि. → 143

मौ. अधिकार का संरक्षण → 32

प्र. क्षेत्राधिकार

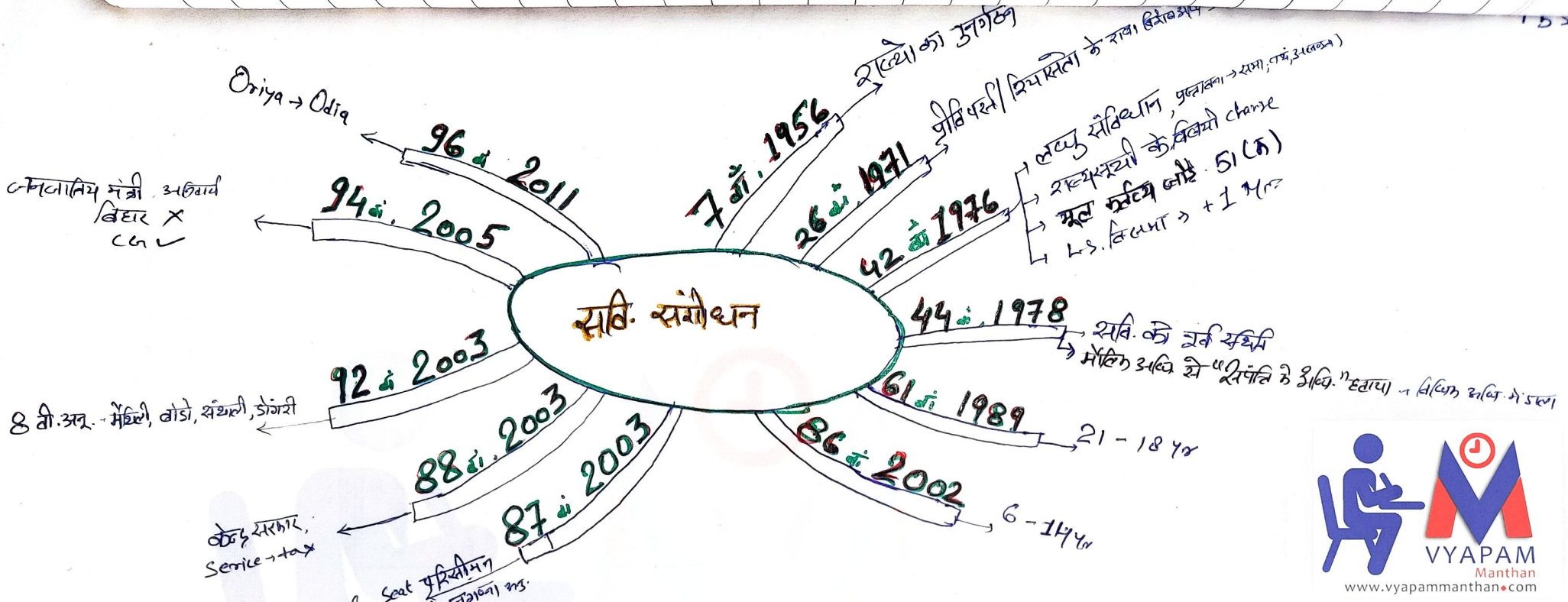

संवि. संशोधन

- 7 वाँ, 1956 → राज्यों का पुनर्गठन
- 26 वां 1971 → प्रीवि पर्स / रियासतों के राजा, विशेषाधि
- 42 वां 1976
  - लघु संविधान, प्रस्तावना → समा., पंथ., अखण्ड)
  - राज्यसूची के विषयों change
  - मूल कर्तव्य जोड़े 51 (क)
  - L.S. विधान → +1 वर्ष
- 44 वां, 1978
  - संवि. की पूर्व स्थिति
  - मौलिक अधि. से "संपत्ति के अधि." हटाया → विधिक अधि. में डाला
- 61 वां 1989 → 21 - 18 yr
- 86 वां 2002 → 6 - 14 yr
- 87 वां 2003 → L.S. Seat परिसीमन 2001 की जनगणना अनु.
- 88 वां, 2003 → केन्द्र सरकार, Service → tax
- 92 वां 2003 → 8 वी. अनु. - मैथिली, बोडो, संथाली, डोंगरी
- 94 वां, 2005 → जनजातिय मंत्री अनिवार्य, बिहार ×, CG ✓
- 96 वां 2011 → Oriya → Odia

24 वां → संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार.

69 वां → Delhi → राष्ट्रीय राजधानी

VYAPAM Manthan
www.vyapammanthan.com

भाग ① संघ और राज्य क्षेत्र (1-4) → 3 राज्य क्षेत्र हैं

1 → भारत अर्थात India

2 → नए राज्य का प्रवेश, भारत संघ में

3 → नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन

भाग ② नागरिकता (5-11)

11 → नागरिकता प्राप्त करने के मानक

भाग ③ मौलिक अधिकार (12-35)

7 - 6, संपत्ति 44वां 1978

① समता (14-18)

14 → विधि के समक्ष

15 → धर्म/नस्ल/लिंग

16 → सरकारी पदों

17 → अस्पृश्यता

18 - उपाधियों का निषेध

② स्वतंत्रता (19-22)

19(1) → 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिये हैं

20 → दोष सिद्ध में संरक्षण

21 → व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षा

21(A) → 86वाँ 2002 में

6-14 अनिवार्य शिक्षा

22 → बन्दीकरण में स्वतंत्रता

③ शोषण के विरुद्ध (23-24)

23 → बलात मजदूर पर प्रतिबंध

24 → 14 yr के कम कारखाने ×

④ धार्मिक स्वतंत्रता (25-28)

25 →

26 → धार्मिक कार्य

27 → धार्मिक कार्य पर छूट

28 → राज्य छूट + धार्मिक शिक्षा ×

⑤ संस्कृति एवं शिक्षा (29-30)

29 → अल्पसंख्यकों भाषा, लिपि, संस्कृति

30 → धर्म/भाषा → शैक्षणिक संस्था

⑥ संवैधानिक उपचारों का अधि (32)

→ H.C / S.C में जा सकता है

→ B.R Ambedkar → हृदय तथा आत्मा।

→ 5 writ :-

बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध

उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा

भाग (4) नीति निर्देशक तत्व (36-51)

→ 350A → प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा

351 → हिन्दी का प्रोत्साहन

Draft → see

51 (A) → मूल कर्तव्य (42वें संविधान, रूस से) 1976

10, Now 11

→ 21 (A)

86वाँ, 2002, 6-14 yr अनिवार्य शिक्षा

(अभिभावक के द्वारा)

भाग (5) संघीय कार्यपालिका (52-151)

भाग (6) → राज्य का कार्यपालिका (152-237)

संचित निधि → 266

वित्त आयोग → 280 1+4

लोक सेवा आयोग → 315 (UPSC → 1+10, 1+अन्य LPSC)

निर्वाचन आयोग → 324 1+2

सचिव स्तर → 368

संवैधानिक निकाय :- योजना (नीति आयोग), राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्र सभा

विभिन्न आयोग :-

राष्ट्र. मानव, राष्ट्र. महिला, रा-अल्पसं., रा. बाल अधि

1+4, 1+5, 1+1+5

73वां पंचायत राज, ग्रा. सभा

केन्द्रीय सतर्कता → 1+2, राष्ट्रपति, 4 yr / 65 yr

परिशिष्ट → 5

सार व्यवस्था → Berlin, संघ की नींव प्रथम केस 108 / Hault

अनु 14 → विधि के समक्ष समानता / समान संरक्षण

↓ Britain ↓ America

भाग-3. मौलिक अधि. (12 - 35)

→ राज्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है → अनु.12.

→ मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है, पहले से लागू व भविष्य में बनाई जाने वाली सभी विधियों से मूल अधि. को संरक्षण प्रदान करता है व न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन रखता है।
→ अनु. 13

ELE RCC

Equality → 14-18
Liberity → 19-22
Exploitation → 23-24.

Religion → 25-28
Culture → 29-30
Const. Remedy → 32

Equality → 14-18

विधि के समक्ष (14), धर्म/नस्ल/लिंग (15), सरकारी पद (16)
अस्पृश्यता (17), उपाधि का निषेध (18)

→ राज्य - भारत के राज्य क्षेत्र में, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता व विधि के समक्ष संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं करेगा.
→ अनु. 14.

व्यक्ति → भारत का नागरिक, अनागरिक, कंपनी, निगम.

विधि के समक्ष समानता / समता → (Britain)
→ विधि/कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

विधि के समक्ष संरक्षण (America).
→ समान परिस्थिति → समान व्यवहार
असमान परि. → समानता का कोई अर्थ नहीं

→ धर्म/नस्ल/जाति/लिंग/जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध
→ अनु.15

15(1) → " केवल भारतीयों के प्रति
जन्मस्थान पर → निषेध नहीं ; निवास स्थान → विभेद ✓

15(2) → " के आधार पर दुकान ; etc किसी भी स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं करेगा.
15(1), 16(2) समता के अपवाद
15(3), 15(4), 15(5) → अपवाद

15(3) → 15(1), 15(2) की कोई बात, बालक / स्त्री के लिए उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी.

I संशो.1951
15(4) → सामाजिक / शैक्षणिक रूप से OBC / SC / ST → उपबंध

15(5) → " निजी / शासकीय शिक्षा संस्था में प्रवेश (अल्प सं.) के शि. सं. को छोड़कर.
93 वॉं 2005, 2006 में पारित → 27%.

→ शासकीय सेवा में अवसर की समानता → अनु.16.

16(1) → " केवल भारतीयों

16(2) → 15(1) में वर्णित आधारों को अनु. 16(2) में स्थान व 16(2) में उद्भव, निवास स्थान शामिल ✓

16(3) → 16(2) का अपवाद.
संसद विधि बनाकर किसी राज्य/संघ क्षेत्र की सरकार के नियोजन/नियुक्ति में राज्य/संघ के भीतर निवास करने की शर्त निर्धारित कर सकता है।
अनु 371 घ के अधीन A.P में लागू.

16(4) → राज्य पिछड़े वर्गों के लिए नागरिकों में आरक्षण का उपबंध कर सकता है।

→ अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत → अनु.17

अस्पृश्यता अपराध अधि. 1955
↳ सिविल संरक्षण अधि. 1976 → दंड का उपबंध
दंड (i) पूजा स्थल, होटलों, दुकानों, मंदिरों से रोकना.
S.C को अपमानित करना.

→ उपाधियों का अंत → अनु.18

18(1) → राज्य किसी व्यक्ति को सेना/विद्या संबंधी उपाधि के सिवाय अन्य को उपाधि प्रदान नहीं करेगा.

18(2) → विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकारने को मना करता है.

18(3) → भारत का नागरिक नहीं है, परंतु राज्य के अधीन लाभ/विश्वास पद पर है किसी विदेश से उपाधि राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं ग्रहण नहीं करेगा.

18(4) → भारतीय से या विदेशी → राष्ट्र की अनुमति आवश्यक.

इसका उल्लंघन करने पर कोई दंड नहीं

पद्मश्री, पद्मभूषण, भारत रत्न, अनु 18 के अधीन उपाधि में शामिल नहीं.

Liberty (स्वतंत्रता) → (19-22)

घूमो फिरो (19), दोष सिद्धि से संरक्षण (20), व्यक्ति / जीवन की सुरक्षा (21)
बन्दीकरण (22) में स्वतंत्रता

⇒ 19 (1)(क) → वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
↓ बोलने / भाषण ↓ विचारों / भावनाओं को किसी भी माध्यम से दूसरे तक पहुँचाना मौखिक / लिखित / सांकेतिक.

→ प्रेस की स्वतंत्रता → विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम.
→ जानने का अधिकार → चुनाव के दौरान
→ सूचना का अधि. (2005) से कानून → विधिक अधिकार
But S.C ने इसे 19(1) मौलिक अधिकार माना।
→ रा. ध्वज फहराना ; विदेश भ्रमण करना ; चुप रहने का अधिकार, राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं

→ एकांतता का अधि. → telephone tape किए जाने को वा. अभि. की स्वतंत्रता का उल्लंघन.

→ प्रायोजित बंद / हड़ताल → असंवैधानिक
But BCP (भारत comm. party) Case"
राजनीतिक दलों द्वारा हड़ताल को असंवैधानिक, लेकिन शांतिपूर्ण व अहिंसक धरना प्रदर्शन अंग माना है

→ विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता
(रमेश थापर बनाम केरल राज्य) मे वाणिज्यिक विज्ञापन
But 19(2) के अंतर्गत रोक → भ्रामक व असत्य विज्ञापन पर.

19(2) → वाक् व अभि. की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन.
भारत की प्रभुता अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोकव्यवस्था, शिष्टाचार / सदाचार के हितों में

न्यायालय की अवमानना
6 month, 2000 Rs
अनु 129, 215 के तहत.

मानहानि
किसी व्यक्ति को घृणा, मजाक या तिरस्कार का पात्र बनाकर पेश करना - उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना → मानहानि है।
भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी नागरिक को किसी व्यक्ति के मानहानि का अधिकार नहीं देता.

⇒ 19(1)(ख) → शांतिपूर्ण व निरायुध [बिना हथियार के] सम्मेलन की स्वतंत्रता
But 19(3) → अगर भारत की प्रभुता व अखंडता के हितों में निर्बन्धन लगाया जा सकता।

⇒ 19(1)(ग) → संगम / संघ / समिति बनाने का अधिकार.
सहकारी समिति → 97 वें संवि. संशो 2011 द्वारा जोड़ा गया.
But 19(4) → में प्रतिबंध

⇒ 19(1)(घ) → भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण (आवागमन) का अधिकार

⇒ 19(1)(ङ) → निवास करने व बस जाने का अधिकार.
↓ अस्थायी ↓ स्थायी
J. कश्मीर → अपवाद

But 19(5) → प्रतिबंध
- ST क्षेत्र में & किसी वेश्या / वेश्यावृत्ति व्यक्ति / पेशेवर अपराधी पर प्रतिबंध

⇒ 19(1)(छ) → Right to any Profession, Occupation, trade or Business.
But 19(6) → प्रतिबंध

⇒ अनु. 20 → किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि में संरक्षण
→ 3 प्रकार

20(1) → कार्योत्तर विधियों (Ex-post facto Law) से संरक्षण
किसी व्यक्ति को कार्य किए जाने के बाद बनाई गई दंडित विधियों से संरक्षण

20(2) → दोहरे दंड से संरक्षण

20(3) → स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण

⇒ अनु. 21 → प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
Right to food, Right to Lively hood.
किसी को company से नहीं निकाल सकते (बिना कारण के)
सड़क पर व्यापार → मूल अधिकार
But → प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

Imp
21(क) → शिक्षा का अधिकार 86 वां 2002 द्वारा,
6-14 Yr तक बालकों को अनिवार्य शिक्षा.
51(क) → 6-14 Yr के माता पिता पर कर्तव्य आरोपित किया

⇒ अनु. 22 → गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण
2 प्रकार की गिरफ्तारी :-
(i) दंडात्मक विधि के अधीन गिरफ्तारी [22(1), 22(2)] संरक्षण
(ii) निवारक निरोध विधि के अधीन [22(4) - 22(7)]
22(3) → अपवाद

22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को,
(i) गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा.
(ii) अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार.

22(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को,
यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, 24 hr के भीतर Magistrate के समक्ष पेश करना। और फिर उसके आदेश के बिना अधिक समय के लिए गिरफ्तार नहीं...

VYAPAM Manthan www.vyapammanthan.com

22(3) → 22(1) व 22(2) का अपवाद

ये संरक्षण प्रदान नहीं होगा.

(i) शत्रु देश के नागरिकों को,

(ii) निवारक निरोध कानून के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को.

(ii) निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी में संरक्षण 22(4)-22(7)

↓

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता, बल्कि इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, यहाँ 'इलाज से बेहतर रोकथाम" के सिद्धांत को अपनाया गया.

आशंका → गैर कानूनी कारण, देश की शांति सुरक्षा के लिए खतरा.

7वी अनुसूची → समवर्ती सूची का विषय.

22(4) → Max^n 3 month के लिए गिरफ्तार.

44वें संवि. संशो. 1978 → 3 → 2 month

लेकिन ये अभी तक नहीं लागू ∴ max^n 3 month

22(5) → गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी जाएगी.

22(6) → 22(5) का अपवाद,

गिरफ्तार करने वाला अधिकारी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताने से इंकार कर सकता है.

22(7) → संसद को शक्ति प्रदान करता है निवारक निरोध के संबंध में विधि बना सकता है

निवारक निरोध अधि. → 1950-1969 तक जारी

MISA → 1971-1978

NSA → 1980

TADA → 1985-1995

POTA -

Exploitation → (23-24)

बलात् मजदूर (23) नहीं, व 14 से कम आयु कारखाने में प्रतिबंध (24) only खतरनाक काम में.

Religion - (25-28)

आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता (25); धार्मिक कार्य करो [26] व कर में छूट दी जाएगी [27], लेकिन राज्य स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी [28].

Culture (29-30)

अल्पसंख्यकों को, केवल नागरिक

→ भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार.

→ धर्म/भाषा के आधार पर → शैक्षणिक संस्था Both

+

राज्य से पोषित/सहायता पाने वाले संस्था में, किसी नागरिक को वंचित नहीं.

Const. Remedy (32)

B.R Ambedkar → संवि. की हृदय व आत्मा कहा.

क्योंकि S.C व H.C में जा सकते हैं.

न्यायालय → WRIT जारी कर सकता. [5 प्रकार]

① बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) (सशरीर उपस्थित करो] → 24 hr के भीतर

② परमादेश (Mandamus) [प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार]

③ प्रतिषेध (Prohibition) मना करना → [S.C. H.C द्वारा छोटे Court को case जारी हो आदेश दिया हो.]

(4) उत्प्रेषण (certiorari) [S.C व H.C द्वारा छोटे Court से case को मंगाता है [उचित प्रमाणित करो] [आदेश दे दिया हो]

(5) अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto) [किस अधिकार से]

लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता जाँच करने के लिए

VYAPAM Manthan
www.vyapammanthan.com

भाग-5 संघीय कार्यपालिका 52-151

राष्ट्रपति → 52

संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में → 53

राष्ट्रपति का निर्वाचन → 54

- अप्रत्यक्ष रूप से → एकनिर्वाचन मण्डल
  - संसद के दोनों सदनों + राज्य व संघीय क्षे. के वि.सभा
  - पांडिचेरी & Delhi
- अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली
  - हेयर, Andrew - denmark 1956
  - Andrew system
- नामांकन के समय 50 → प्रस्तावक, 50 → अनुमोदक } 15,000
- न्यूनतम कोटा = $\frac{\text{दिए गए मतों की सं.}}{2} + 1$
- संसद के सदस्यों के मतमूल्य का निर्धारण

  = $\frac{\text{कुल रा. वि. स. के निर्वा. सदस्य का मत मूल्य}}{\text{दोनों सदनों के निर्वा. सदस्य का मत मूल्य}}$

वि.सभा के सदस्य का

= $\frac{\text{राज्य व संघीय क्षेत्र की कुल ज.सं.}}{\text{रा. वि.सभा के निर्वा. सद. की कुल सं.}} \times \frac{1}{1000}$

राष्ट्रपति का कार्यकाल → 56 (5yr / 5yr)

राष्ट्रपति की योग्यता (35yr min, L.S.) → 58

राष्ट्रपति को शपथ (S.C के CJ या SC के वरिष्ठ) → 60

- त्यागपत्र → उप-राष्ट्रपति → लोकसभा अध्यक्ष
- अगर मृत्यु तो पूरे 5yr के लिए ना कि शेष के लिए

राष्ट्रपति पर महाभियोग → 61 (America)

- → संवि का उल्लंघन या संवि के विपरीत जाकर कोई कार्य
- → किसी भी सदन के 1/4 सद. द्वारा 14 दिन पूर्व लि. सू. → राष्ट्रपति
- → दोनों सदनों के कुल स. → 2/3 बहुमत द्वारा पारित.
- → रिक्ति को 6 महीने के भीतर

राष्ट्रपति की शक्तियाँ :-

(i) कार्यपालिका → रा. को सलाह देने के लिए एक मंत्रीपरिषद अनु. 74 → जिसका प्रधान → PM

- L.S में बहुमत दल के नेता → PM, उसकी सलाह से अन्य मंत्री → 75
- 5 लोगों की नियुक्ति →
  - महान्यायवादी 76 ; SC व HC के मु. न्यायाधीश (124, 214)
  - महालेखापरीक्षक CAG (148-151) [सा. वि. लेखा का प्रहरी]
  - UPSC के अध्यक्ष व सदस्य (315) [1 + 10]
  - मु. निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त (324) [1+2]

राष्ट्रपति → कार्यपालिका - औपचारिक प्रधान

PM & मंत्रिपरिषद → वास्तविक प्रधान

(ii) विधायी शक्तियाँ :-

- संसद सत्र बुलाना ; PM की सलाह से लोकसभा में भंग
- संयुक्त अधि. दोनों सदनों का 108 → अध्यक्ष लोकसभा का
- प्रत्येक आम चुनाव के बाद, I सत्र व
- प्रत्येक वर्ष के I सत्र को संबोधित.

राज्यसभा (80) → 12 सदस्य अनु. 68

लोकसभा (81) → 2 सदस्य अनु. (331)

राज्यसभा (80)	लोकसभा (81)
स्थायी सदन, उच्च सदन, II सदन	अस्थायी सदन, निम्न सदन, I सदन
3 April 1952	17 April 1952
Max → 250 (238 राज्यों, 12 - राष्ट्रपति)	Max → 552 (530 राज्यों, 20 संघी, 2 राष्ट्रपति)
Present → 245 (233 राज्यों, 12 राष्ट्रपति)	Present → 545 (530 राज्यों, 13 संघी, 2 राष्ट्रपति)
min → 30yr	min → 25yr
चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से (वि.सभा सदस्य)	चुनाव → प्रत्यक्ष रूप से (जनता द्वारा)
कार्यकाल → 6yr; But सदस्यों 1/3 → प्रत्येक 2yr बाद मुक्ति	5yr.
पदाधिकारी → 3	पदाधिकारी → 4
अध्यक्ष → उ. रा. बिना अध्यक्ष चुनाव नहीं होता; उसका सदस्य नहीं होता	अध्यक्ष → 93, बहुमत के आधार; योग्यता → केवल L.S का सदस्य होना चाहिए; शपथ → L.S अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि सदस्य के रूप में लेता है; उसे Protem Speaker (प्रो. अध्यक्ष) + पद ग्रहण कराता; L.S → राष्ट्रपति नियुक्त करता है; वि.सभा → राज्यपाल; कार्यकाल → अगली L.S तक; L.S भंग होने पर अध्यक्ष कार्य करेगा जब तक नयी L.S गठित नहीं हो
उपसभापति → सदस्य अपने मध्य में से 6yr; सभापति की अनु. में दायित्व; बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया	पदमुक्ति → उपाध्यक्ष को; या बहुमत से प्रस्ताव पारित कर, 14 दिन पूर्व लिखित सूचना; कार्य → निर्णायक मत देना; संयुक्त अधि. की अध्यक्षता; संसद व राष्ट्र के मध्य कड़ी; धन वि. है कि नहीं; L.S के सत्र को स्थगित
महासचिव → राज्यसभा का प्रमुख प्रशासनिक; सचिवालय सेवा का सदस्य; नियुक्ति स्वयं राज्यसभा	उपाध्यक्ष → Same उपसभापति; महासचिव → Same R.S
Power :- राज्यसूची के विषय में सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित → राष्ट्रीय महत्व घोषित करने की शक्ति ⇒ अनु 249; अखिल भा. सेवा में भ्रम 2/3 बहुमत से, ⇒ 312; Present → 3 IAS, IPS, IFS	कैबिनेट सचिव → भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी
कार्यवाही:- 1/10 → गणपूर्ति कोरम; राष्ट्रपति 2 बार सत्र, 2 अधि. के बीच 6 month का अंतर; 60 दिन अनु. सद. समाप्त	1/10 सदस्य; अंतर नहीं; 60 दिन

VYAPAM Manthan www.vyapammanthan.com

भाग-5 संघीय कार्यपालिका 52 - 151

राष्ट्रपति → 52

संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में → 53

राष्ट्रपति का निर्वाचन → 54

↳ अप्रत्यक्ष रूप से → एक निर्वाचन मंडल
↓
संसद के दोनों सदनों + राज्य व संघीय क्षे. के वि.सभा
↳ पांडिचेरी & Delhi

↳ अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली
हेयर, Andrew – Denmark 1956
↳ Andrew system

↳ नामांकन के समय 50 → प्रस्तावक
50 → अनुमोदक } 15,000

↳ न्यूनतम कोटा = $\frac{\text{दिए गए मतों की सं.}}{2}$ + 1

↳ संसद के सदस्यों के मतमूल्य का निर्धारण
= $\frac{\text{कुल रा. वि.स. के निर्वा. सदस्य का मत मूल्य}}{\text{दोनों सदनों के निर्वा. सदस्य का मत मूल्य}}$

वि.सभा के सदस्य का,
= $\frac{\text{राज्य व संघीय क्षेत्र की कुल जन.सं.}}{\text{रा. वि.सभा के निर्वा. सद. की कुल सं.}} \times \frac{1}{1000}$

राष्ट्रपति का कार्यकाल → 56
(5 Yr / 65 Yr)

राष्ट्रपति की योग्यता (35yr, L.S.) → 58

राष्ट्रपति की शपथ (S.C के CJ या SC के वरिष्ठ) → 60
त्यागपत्र → उप-राष्ट्रपति → लोकसभा अध्यक्ष
अगर मृत्यु तो पूरे 5 yr के लिए ना कि शेष के लिए

राष्ट्रपति पर महाभियोग → 61 (America)
→ संवि का उल्लंघन या संवि के विपरीत जाकर कोई कार्य
→ किसी भी सदन के 1/4 सद. द्वारा 14 दिन पूर्व लि.सू. → राष्ट्रपति
→ दोनों सदनों के कुल सं. → 2/3 बहुमत द्वारा पारित.
→ रिक्ति को 6 महीने के भीतर

राष्ट्रपति की शक्तियाँ : 1

(i) कार्यपालिका → रा. को सलाह देने के लिए एक मंत्रीपरिषद अनु. 74 → जिसका प्रधान → PM
↳ L.S में बहुमत दल के नेता → PM
उसकी सलाह से अन्य मंत्री → 75

↳ 5 लोगों की नियुक्ति →
महान्यायवादी 76 ; SC व HC के मु. न्यायाधीश (124, 214)
महालेखापरीक्षक CAG (148-151) [सं.वि. द्वारा पद]
UPSC के अध्यक्ष व सदस्य (315) [1 + 10]
मु. निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त (324) [1+2]

राष्ट्रपति → कार्यपालिका – औपचारिक प्रधान
PM & मंत्रिपरिषद → वास्तविक प्रधान

(ii) विधायी शक्तियाँ :-
↳ संसद सत्र बुलाना ; PM की सलाह से लोकसभा को भंग
संयुक्त अधि. दोनों सदनों का 108 → अध्यक्ष लोकसभा का
प्रत्येक आम चुनाव के बाद, I सत्र व
प्रत्येक वर्ष के 1 सत्र को संबोधित.

राज्यसभा (80) → 12 सदस्य अनु 80
लोकसभा (81) → 2 सदस्य अनु (331)

राज्यसभा (80)	लोकसभा (81)
स्थायी सदन, उच्च सदन, II सदन	अस्थायी सदन, निम्न सदन, I सदन
3 April 1952	17 April 1952
Max → 250 (238 राज्यों, 12 - राष्ट्रपति)	Max → 552 (530 राज्यों, 20 संघीय, 2 राष्ट्रपति)
Present → 245 (233 राज्यों, 12 राष्ट्रपति)	Present → 545 (530 राज्य, 13 संघीय, 2 राष्ट्रपति)
min → 30 yr	min → 25 yr
चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से (वि.सभा सदस्य)	चुनाव → प्रत्यक्ष रूप से (जनता द्वारा)
कार्यकाल → 6 yr But सदस्यों 1/3 → प्रत्येक 2 yr बाद मुक्ति	5 yr.
पदाधिकारी → 3	पदाधिकारी → 4
अध्यक्ष → उ. रा. किन्तु अध्यक्ष चुनाव नहीं होता ↳ उसका सदस्य नहीं होता	अध्यक्ष → 93, बहुमत के आधार ↳ योग्यता → केवल L.S का सदस्य होना चाहिए शपथ → L.S अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि सदस्य के रूप में लेता है उसे Protem Speaker (अ. अध्यक्ष) → पद ग्रहण कराता ↓ L.S → राष्ट्रपति नियुक्त करता है वि.सभा → राज्यपाल कार्यकाल → अगली L.S तक L.S भंग होने पर अध्यक्ष कार्य करेगा जब तक नयी L.S गठित नहीं हो पदमुक्ति → उपाध्यक्ष या बहुमत से प्रस्ताव पारित कर, 14 दिन पूर्व लिखित सूचना कार्य → निर्णायक मत देना → संयुक्त अधि. की अध्यक्षता → संसद व राष्ट्र के मध्य पत्राचार → धन वि. है कि नहीं → L.S के सत्र को स्थगित
उपसभापति → सदस्य अपने मध्य में से 6 yr ↳ सभापति की अनु में दायित्व ↳ बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया	उपाध्यक्ष → Same उपसभापति
महासचिव → राज्यसभा का प्रमुख प्रशासनिक ↳ सचिवालय सेवा का सदस्य ↳ नियुक्ति स्वयं राज्यसभा	महासचिव → Same R.S.
	कैबिनेट सचिव → भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी
Power :- राज्यसूची के विषय में सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित → राष्ट्रीय महत्व घोषित करने की शक्ति ⇒ अनु 249 अखिल भा. सेवा के स्थापना $\frac{2}{3}$ बहुमत से, ⇒ 312 Present → 3 IAS, IPS, IFS	
कार्यवाही :- 1/10 स. → गणपूर्ति कोरम राष्ट्रपति 2 बार बैठक 2 अधि. के बीच 6 month का अंतर 60 दिन अनु. सद. स्थगित	→ 1/10 सदस्य अंतर नहीं 60 दिन

www.vyapammanthan.com

राष्ट्रपति ✓

→ चुनाव आयोग के परामर्श →

संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न

→ अध्यादेश जारी करता है → 123 , & राज्यपाल → 213 में
मंत्रिपरिषद की सलाह पर,

6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन नहीं होने पर निष्प्रभाव

(iii) वित्तीय शक्ति :—

[Same राज्यपाल , But बजट → मुख्यमंत्री पेश]

↳ राष्ट्रपति की अनुमति से → बजट (अनु. 112)(वार्षिक वित्तीय विवरण) → वित्त मंत्री द्वारा

↳ L.S मे धनविधेयक

↳ राष्ट्रपति के नियंत्रण मे → आकस्मिक निधि

↳ संचालन → राष्ट्रपति के नाम से वित्त सचिव द्वारा.

↳ 5 yr के बाद या पहले,

वित्त आयोग (अनु. 280) → नियुक्ति
[1 + 4]

मु. कार्य → सुझाव देना.

केंद्र व राज्य के मध्य आय (tax) के बटवारे का.

(iv) न्यायिक शक्तियाँ :—

↳ S.C & H.C के मु. न्यायाधीश व अन्य की नियुक्त

↳ S.C की सलाह ले सकता है But बाध्य नहीं अनु. 143

↳ क्षमादान (क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन) → 72 & राज्यपाल → 161 में

(v) कूटनीतिक शक्तियाँ :—

↳ राष्ट्रपति अंत मंच पर → भारत का प्रतिनिधित्व.

∴ राजदूतों व अन्य आयुक्तो की नियुक्ति

(vi) सैन्य शक्ति :—

↳ भारतीय सेना का कमांडर

↳ तीनों सेना का प्रमुख

↳ युद्ध व शांति की घोषणा

(vii) आपातकालीन शक्तियाँ :—

↳ जे.वी. वीटो पावर (पूर्ण, निलंबित, पॉकेट वीटो).

↳ 1986 → संसद द्वारा पारित भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक पर कोई निर्णय नहीं.

→ ज्ञानी जैल सिंह (President)

आत्यांतिक/पूर्ण वीटो → रा. विधेयक पर अनुमति नहीं देता ; गैर सरकारी सद. के विधेयक पर

निलंबकारी वीटो → पुनर्विचार के लिए लौटा कर उसे पारित करने मे विलंब

VYAPAM Manthan
www.vyapammanthan.com

उपराष्ट्रपति → 63

राज्यसभा में पदेन सभापति → 64

↳ R.S का सदस्य नहीं होता But निर्णायक मत दे सकता है

↳ यही एक ऐसा व्यक्ति है, जो उस सदन में मतदान करता है जिसका वह सदस्य नहीं होता है।

कार्यवाहक राष्ट्रपति → 65

राष्ट्रपति की अनु / मृत्यु → Max 6 महीने के लिए
वही वेतन जो राष्ट्रपति को।

योग्यता → 66
(RS का सदस्य होने की)

निर्वाचन → आनुपातिक रूप से एक निर्वाचन मंडल
↓ राज्य के वि.सभा के सदस्य नहीं

नामांकन के समय 20 - प्रस्तावक
20 → अनुमोदक } 15,000.

कार्यकाल → 5 वर्ष

शपथ → राष्ट्रपति,

त्यागपत्र → राष्ट्रपति . & महाभियोग नहीं।

राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए → मंत्रिपरिषद
प्रधान → PM → अनु. 74.

राष्ट्रपति, लो.सभा मे बहुमत दल के नेता को PM. अनु 75
अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से PM नियुक्त करेगा

योग्यता → किसी सदन का सदस्य,
या नियुक्ति के 6 month के भीतर सदन का सदस्य निर्वाचित

Power:-

समय-समय पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद संबंधी कार्यवाही सूचना → 78

कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान → PM व उसकी मंत्रिपरिषद

PM/ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से → लो. सभा के प्रति उत्तरदायी
व्यक्तिगत रूप से → राष्ट्रपति के प्रति.

① ∵ LS मे बहुमत दल का नेता, ∴ उसके परामर्श से संसद सत्र आहूत व सत्रावसान

② L.S को भंग, उसकी सामान्य अवधि के पूर्व

③ मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच, विभागों का वितरण व फेरबदल

④ मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए, या राष्ट्रपति से बर्खास्त

अध्यक्ष → योजना आयोग, रा. विकास परि., अन्त. परिषद
सरकार की नीतियों की घोषणा.

मंत्री 3 प्रकार के,
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री
↓
विभाग के अध्यक्ष

PM व कैबिनेट मंत्री को मिलाकर → मंत्रिमंडल का निर्माण
352(3).

उपप्रधानमंत्री → भा. संवि. में कोई उल्लेख.

But →
1947 - 1956 मे उप. प्रधा. की व्यवस्था.
① → सरदार वल्लभभाई पटेल
then, 1950 मे मृत्यु तो पद खाली.
1966 → गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश
व 7 उप.प्रधानमंत्री, व व्यक्तिगत → 8.

यदि L.S किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करे या उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द करे। तो समस्त मंत्रीमंडल को त्यागपत्र देना होता है।

भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी
महान्यायवादी (Attorney General) → 76

योग्यता → S.C के न्यायाधीश बनने की.

कार्य → विधि संबंधी मामलों पर सलाह
भारत सरकार पर मुकदमे मे भारत सरकार की पैरवी

संसद के किसी भी सदन मे भाग ले सकता है
[बोल सकता
[विचार प्रकट
But मतदान नहीं कर सकता.

एक संसद होगी जो L.S + R.S + राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी → 79

राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है.
Bcz इसके अनुमति के बिना L.S व R.S द्वारा पारित विधेयक अधि. या कानून का रूप नहीं।

VYAPAM Manthan
www.vyapammanthan.com

भाग - 6 राज्य कार्यपालिका 152-237

राज्यपाल → 153

समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित → 154

राज्य के सभी कार्य उसके नाम से होते हैं।

नियुक्ति →

H.C के न्यायाधीशों को छोड़कर सभी प्रमुख पदों की नियुक्ति,
CM, अन्य मंत्री, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य महाधिवक्ता, लोकायुक्त
PSC के अध्यक्ष सदस्य

लोक सेवा आयोग के पदाधिकारी को छोड़कर व सभी को पदमुक्त कर सकता है।

⇒ राष्ट्रपति शासन के समय,
केन्द्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।

⇒ राज्यपाल, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, तथा उप कुलपतियों की नियुक्ति करता है।

⇒ राज्यपाल → विधानमंडल का अभिन्न अंग
वि.सभा का सत्र बुलाता है सत्रावसान करता है।
मुख्यमंत्री की सलाह से, वि.सभा को भंग कर सकता।

⇒ राज्यपाल के वेतन भत्ते का निर्धारण, संसद
लेकिन भुगतान राज्य की संचित निधि में होता है।

अध्यादेश जारी → 213.

विसभा में 1 एंग्लो इंडियन नियुक्त → 333.

राज्यपाल, → मृत्युदंड की सजा पाए गए व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति कर सकता है।

योग्यता → 35 वर्ष, वि.सभा का सदस्य होने की योग्यता।
नियुक्ति → राष्ट्रपति ; राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी
शपथ → H.C का मु. न्यायाधीश, त्यागपत्र → राष्ट्रपति

मुख्यमंत्री → 163

राज्यपाल, वि.सभा में बहुमत दल के नेता को CM.

मुख्यमंत्री, राज्यपाल को समय-समय पर मंत्रिपरिषद के कार्यवाही की सूचना देगा। → 167

राज्य विधानमंडल का गठन → 168

विधानसभा का गठन → 170

भाग → 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238

भाग 8 • केन्द्र शासित प्रदेश - 239-242

9 पंचायती राज - 243

10 SC/ST → 244.

11 संघ व राज्य के बीच संबंध 245-263

12 वित्त व प्रशासनिक संबंध 264-300
संचित निधि → 266 ; वित्त आयोग → 280

13 भा. राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार-वाणिज्य समागम 300? -301 -307

14 संघ-राज्य के अधीन सेवाएं 308-323
लोक सेवा आयोग 315 (UPSC → 1+10, PSC - 1+3अन्य)

15 निर्वाचन 324-329 [1+2]

16 ×

17 राजभाषा 343-351
343(A) → संघ की राजभाषा → हिंदी व लिपि → देवनागरी
344 - राष्ट्रपति को एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान
1955 ई. राजभाषा आयोग अध्यक्ष → B.G खेर
नीति निर्देशक — 350(A) → राज्य या राज्य में स्थित स्थानीय तंत्र में प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषा → स्थानीय अधिकारी
351 → हिंदी को प्रोत्साहन

1963 ई. में निर्णय → सरकारी कार्यों में हिंदी के अलावा अंग्रेजी 1971 तक.
फिर पुनः संशोधित करके अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया।
पहले 8वीं अनु. → 12 भाषा थी, जो 22 हो गई।

संविधान
21वें संवि. संशो. 1967 → सिंधी
71वें संवि. संशो. 1992 → मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली
92वें संवि. संशो. 2003 → मैथिली, बोडो, संथाली, डोंगरी

18 आपात उपबंध 352-360

19 राष्ट्र प्रमुख, राज्य प्रमुख 361-367

20 संवि. संशोधन 368

21 अस्थायी-संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 369-392

22 संक्षिप्त नाम निरसन 393-395
इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है → 393
राष्ट्रपति इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद → 394(क)
संविधान का अंतिम अनुच्छेद → 395 (निरसन)

VYAPAM Manthan
www.vyapammanthan.com

VYAPAM
Manthan
www.vyapammanthan.com

(352-355)

अब तक भारत मे 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा.

1962 → चीन आक्रमण

1965 → पाकिस्तान आक्रमण

1975 → आंतरिक अशांति के आधार पर.

राष्ट्रपति शासन [356-357] की घोषणा पहली बार 1951 मे Punjab में की गई थी. अधिकतम 3 yr

भारत मे अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात [360] की घोषणा नही की गई